

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 26.12.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 57 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. देवकी नन्दन पुत्र माधवराज नि० नब्बनपुरवा थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 334 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुनीता पत्नी बलराम नि० कोहारनपुरवा मौजा हड़हवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 320 / 20, 02. रामदौड़ पुत्र झगरू नि० भोरहा बालेपुरवा मौजा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे के 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 321 / 20, 03. सूबेदार पुत्र नेपाले नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 322 / 20, 04. राजेन्द्र वर्मा पुत्र दूधनाथ वर्मा नि० सोहासकर मोहनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 323 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दिलीप कुमार भारती पुत्र रामशब्द भारती नि० कुन्नपुरवा ऐलनपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 483 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजकुमार पुत्र बुधई नि० नागपुर कुँवर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 519 / 20, 02. बृजेश पुत्र सरजू प्रसाद नि० दानेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 520 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जोखू पुत्र स्व० पुल्ले नि० परसापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 526 / 20, 02. राजबहादुर पुत्र स्व० गया प्रसाद नि० सुभागपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 527 / 20, 03. संतलाल पुत्र स्व० रामाश्रय नि० परसापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 528 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अजय सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह नि० विशेनपुर सरपंच पुरवा थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 1014/20, 02. दयाराम पुत्र जगप्रसाद नि० विशेनपुर सरपंच पुरवा थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 1015 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने गश्त के दौरान 01- 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों – 01. सूरज पुत्र दिनेश कुमार पटवा नि० मोहल्ला गॉधी नगर कस्बा करनैलगंज जनपद गोण्डा, 02. शब्बीर पुत्र मोहम्मद सद्दीक नि० मोहल्ला सोना दासी पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०- 531 / 20 व 532 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त अभय प्रताप सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र दिनेश कुमार सिंह नि० मुंडेरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना करनैलगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 233 / 20, धारा 354.323.504.506 भादवि० व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर मारा- पीटा व जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना करनैलगंज में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें करनैलगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. जितेन्द्र गौतम पुत्र रामकृपाल नि० तोपखाना थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।
02. अक्षय उर्फ राज मो० पुत्र शेर मो० नि० तोपखाना थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।
03. अतीक अहमद पुत्र अकील अहमद नि० तोपखाना थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 1017 / 20, धारा 401 भादवि० थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।
02. मु०अ०सं०- 1018 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. चोरी करने के उपकरण ।
02. एक अदद नाजायज चाकू ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25 /26.12.2020 की रात्रि थाना को०नगर के उ०नि० गोपाल सिंह, उ०नि० बृजानन्द सिंह मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व अभियुक्त जितेन्द्र गौतम के पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया । अभियुक्तगणों को थाना को०नगर में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० गोपाल सिंह ।
02. उ०नि० बृजानन्द सिंह ।
03. उ०नि० भानू प्रताप ।
04. हे०का० अतुल सिंह ।
05. हे०का० राजनरायन सिंह ।